पंचायत चुनावों में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

मो0 नौशाद*

गाँधी जी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्वाधीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम ही केन्द्र में होना चाहिए और वही व्यवस्था की इकाई माना जाना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने विकेन्द्रीकरण के बारे में कोई विचार नहीं रखे। संविधान के प्रारूप में कहीं एक बार भी पंचायत शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। न ही बैठकों में विकेन्द्रीकरण पर कोई चर्चा की। संविधान सभा के सदस्यों में वाद–विवाद के दौरान विकेन्द्रित संस्थाओं के बारे में राय बनी। एम0ए0 आयंगर व एन0सी0 रंगा इन संस्थाओं के पक्ष में थे और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विरोध में। डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान सभा में पंचायतों की बड़ी तीखी आलोचना की तथा गांवों को अज्ञानता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, दकियानूसीपन और पिछड़ेपन से युक्त माना। प्रारूप समिति द्वारा गाँवों के स्थान पर व्यक्ति को इकाई के रूप में रूप में अपनाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।

अनुच्छेद 40 :

''अंत में एक समझौते के रूप में और गाँधी जी के प्रति समादर दिखाते हुए संविधान सभा ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख कर दिया।[1] अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।[2] साथ ही स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची–2 (राज्य सूची) में स्थान देकर इस संबंध में विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई। उपरोक्त अनुच्छेद को दशकों तक कोई महत्व नहीं दिया गया था। हालांकि स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था परन्तु जनता द्वारा रुचि न लेने के कारण यह प्रयास विफल रहा।

***पीएच.डी. रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना**

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता की जाँच के लिए 1957 में बलवंत राय अध्ययन दल नियुक्त किया गया जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की तुरन्त शुरूआत करने की सिफारिश की। इसे अध्ययन दल ने 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' का नाम दिया। कहा कि तीन स्तरों 1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, 2. खण्ड (तहसील) स्तर पर पंचायत समिति तथा 3. जिला स्तर पर जिला परिषद समिति बनाई जायें। मेहता समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को देश में लागू किया गया जिसके आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने सर्वप्रथम 2 सितम्बर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992

इस अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हालांकि यह कोशिश अगस्त 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने 64वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भी की थी परन्तु राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को पास नहीं किया गया। पी0वी0 नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने प्रारम्भ के विवादस्पद प्रावधानों को हटाकर 26 सितम्बर 1991 को संसद में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ। 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तथा 24 अप्रैल 1993 ई0 को यह देश में लागू हो गया। इसके प्रावधान से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के बारे में विशेष उपबन्ध है जिनके अनुसार वहाँ पर पंचायतों की संरचना है।

73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नया अध्याय भाग–9 जोड़ा गया, जिसमें 16 अनुच्छेद हैं। एक अनुसूची 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। भाग–9 में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है, ये है (क) ग्रामस्तर (ख) जिला स्तर पर जिला पंचायत (ग) अंतःवर्ती पंचायत जो ग्राम व जिला पंचायतों के बीच होगी।[3] भाग–9 में अनु0–243 के अन्तर्गत 243क से 243ण तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद–243 के अन्तर्गत जिला, ग्राम सभा, पंचायत, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या व ग्राम की परिभाषाएँ है।

पंचायत चुनावों में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

सभ्य समाज के विकास में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस समाज में जनसंचार माध्यम ज्यादा विकसित होते हैं वहाँ राजनीतिक

जागरूकता, लोगों की सक्रियता, विकास, शिक्षा आदि का उच्च स्तर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि को ले सकते हैं। जहाँ के संचार माध्यम हमारे देश की तुलना में ज्यादा विकसित हैं और राजनीतिक तथा सामाजिक ढ़ांचा भी। मानव के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में जनसंचार माध्यमों का उल्लेखनीय महत्त्व होता है। आज के युग को संचार युग कहा जाता है। संचार के माध्यमों के बिना हमारा जीवन क्या होगा? इस प्रश्न के बारे में सोचते ही व्यवस्था ध्वस्त सी नजर आने लगती है। आज संचार के माध्यमों का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे– विज्ञान, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है ऐसे में भला राजनीतिक क्षेत्र कैसे अछूता रहा सकता है? चुनाव राजनीतिक क्षेत्र का निःसन्देह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है।

पंचायत चुनावों पर संचार के माध्यमों का क्या प्रभाव है? किस तरह की भूमिका संचार माध्यम निभा रहे हैं? हाईटेक युग में अब संचार माध्यम अपने मूलभूत उद्देश्यों (सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना) से कहीं आगे चलकर मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत आदि के चुनाव कार्यक्रम, प्रतिनिधियों इत्यादि की जानकारी लोगों को इन्हीं के माध्यम से मिलती है। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं इसलिए पंचायत चुनाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर ग्रामीण जनसाधारण को प्रभावित करते हैं। गाँवों में गरीबी, अशिक्षा, लोगों का भोलापन, राजनीतिक चेतना का अभाव, बेरोजगारी, धन की कमी, स्वास्थ्य व जीवन स्तर सम्बन्धी आदि सम्बन्धी आदि समस्याएँ हैं। इनसे ग्रसित अधिकांशतः लोग दबंग लोगों के प्रभाव में रहने के कारण स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जनसंचार माध्यम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ प्रेस के प्रतीक हैं और इनका कार्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। संचार क्रांति के क्षेत्र में हमारा देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर है। हमारे देश द्वारा कई स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं जिसमें देश के प्रत्येक भाग में इण्टरनेट, टी0वी0, रेडियो, मोबाइल आदि की पहुँच हो गई है। समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, फिल्में धीरे–धीरे सभी जगह उपलब्ध होने लगे है। इनका प्रभाव व्यक्ति के राजनीतिक निर्णय पर पड़ता है। फिर भी कुछ स्थानों पर संचार रिक्तिता (Communication) है। इससे संचार की प्रक्रिया लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। इसका प्रभाव चुनावों पर भी पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, चुनावों के उम्मीदवार अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पाते है। सार रूप में पंचायती चुनावों पर जनसंचार माध्यमों का कितना और किस रूप में प्रभाव पड़ रहा है?

पंचायतों को लेकर बड़ी संख्या में शोध कार्य किए गए है। **रिंकी शर्मा (2008)** ने **''पॉलिटिकल मोबीलाइजेशन एट ग्रास रूटस् लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यशन्स् (एन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेर्स्टन उत्तर प्रदेश)''**[4] विषय पर आधारित शोध कार्य में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक लामबंदी का अध्ययन किया। शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि, स्थानीय राजनीति में पुरुषों का ही वर्चस्व हैं। **वजीर सिंह (2006)** के अध्ययन **''पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में महिला सदस्यों की भूमिका : रोहतक जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन''**[5] में पंचायतों में महिलाओं की स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह अध्ययन रोहतक जनपद में सम्पन्न किया गया।

लज्जा देवी गोयल (2005) ने **''वूमेन इम्पॉवरमेन्ट एण्ड द पंचायती राज सिस्टम इन रेफरेन्स टू 73आर डी कॉन्सटीटयूशनल अमेन्डमेन्ट : ए स्टडी ऑ पंचायत्स ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट (हरियाणा)''**[6] विषय पर अध्ययन किया जिससे ज्ञात होता है कि पंचायतों के माध्यम से महिलाएँ राजनीतिक रूप से शिक्षित हो रही है तथा स्थानीय शासन के प्रत्येक स्तर पर खुद को स्थापित कर रही है। **पवन कुमार (2005)** ने **''पंचायती राज स्ट्रक्चर एण्ड डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रालाइजेशन (ए स्टडी ऑ टू पंचायत समिति'स ऑ भिवानी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा)''**[7] विषय पर शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया जिसमें भिवानी जनपद की दो पंचायत समितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध से तथ्य उभरकर सामने आया कि अधिकांश पदासीन अधिकारी अपनी शक्तियों, कार्यो और कर्त्तव्यों के बारे में नहीं जानते हैं। **सुभाष चन्द्र (2004)** ने **''ग्राम पंचायत की महिला कार्यकर्त्ताओं की राजनीतिक सहभागिता : वर्ष 1993 के पश्चात् का परिदृश्य''**[8] विषयक शोध कार्य किया। शोध का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद का लोनी विकास खण्ड रहा। शोध से तथ्य उभरकर सामने आया कि स्थानीय निर्वाचन के संदर्भ में सभी महिलाओं ने सहभागिता की। ग्राम के स्तर पर स्वयं चुनाव लड़ने, प्रचार करने, चंदा देने, प्रचार सामग्री वितरित करने तथा बैठकों में हिस्सा लेने इत्यादि गतिविधियों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कम सक्रिय है।

जनसंचार माध्यमों से सम्बन्धित शोध कार्यों से ज्ञात होता है कि **पूनम शर्मा (2009)** ने **''इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉरमेशन रिवोल्यूशन ऑन रूरल अपलिटमेंट –ए केस स्टडी ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट''**[9] विषय पर शोध अध्ययन किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति में सूचना क्रांति के प्रभाव का पता लगाना था। शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इंटरनेट की पहुँच गाँवों तक पहुँचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर तथा सरकार दोनों तरफ से संतुलित सहभागिता की जरूरत है। **कु0 हिमांशु चावला (2002)** ने **''मॉस कम्यूनिकेशन एण्ड पब्लिक ओपीनियन**

ए थीअरेटिकल स्टडी''[10] विषय पर शोध कार्य करके जनसंचार एवं लोकमत का सैद्धान्तिक अध्ययन किया। तथ्य उजागर हुआ कि लोकतान्त्रिक देश में दोनों का विशेष महत्व है जो कि सामान्य जनता से जुड़े हुए है।

सुभाव भटनागर (2000) के **''इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड डेवलेपमेण्ट, काउण्डेशन एण्ड की इश्यूस''**[11] विषयक शोधकार्य से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ाना जटिल कार्य है जिसमें सूचना तकनीक सहयोगात्मक भूमिका निभा सकती है। सरल एप्लीकेशन ग्रामीणों में लगाव पैदाकर सकती है जिससे कि वे प्रभावशाली ढ़ंग से सूचना तकनीक को अपना सकें। **रश्मि गौतम (1992)** ने **''माइक्रो लेवल मीडिया (ए स्टडी ऑफ सोनीपत प्रेस)''**[12] विषय पर शोध किया जिसमें सोनीपत जिले की स्थानीय प्रेस का अध्ययन कर स्थानीय राजनीति पर उसके प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। शोध अध्ययन से पता चलता है। कि स्थानीय मीडिया अपने दायित्वों के निर्वाह में सफल नहीं है। **रनबीर सिंह (1997)** ने **''रोल ऑफ प्रेस इन नेशनल अवेकिंग इन इण्डिया (1905–1920)''**[13] विषय पर शोध कार्य किया जिसमें अंग्रेजी शासन के समय में भारत के राष्ट्रीय जागरण में प्रेस की भूमिका का अध्ययन किया गया है। गुलामी के अंधे दौर में प्रेस ने ही आशा की लौ जलाई रखी थी।

उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि अब तक हुए शोधों में पंचायतें एवं महिलाएँ, आरक्षण, कार्यप्रणाली, जनसंचार एवं विकास, पुर्नजागरण, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि के बारे में पर्याप्त विश्लेषण किया गयाहै लेकिन पंचायत चुनावों पर जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर अभी शोध प्रारम्भिक अवस्था में है। अतः प्रस्तुत शोध इस सम्बन्ध में नये आयाम तलाशने का प्रयास है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, रिंकी, पॉलिटिकल मोबीलाइजेशन एट ग्रास रूटस् लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यशन्स एन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेर्स्टन उत्तर प्रदेश, 2008.
2. शर्मा पूनम, इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉरमेशन रिवोल्यूशन ऑन रूरल अपलिटमेंट– ए केस स्टडी ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट, 2009
3. बेबर, मैक्स, दि मैथेलॉजी सोशल साइंस, ए0बी0डी0 पब्लिशर्स जयपुर सिस्टेक स्कूल ऑफ कम्पूटिंग जयपुर, 2004.
4. बसु, दुर्गादास, भारत का संविधान एक–परिचय, लेक्सिस–नेक्सिस प्रकाशन, नागपुर, 2010.

5. कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2008.
6. कुमार, पवन, पंचायती राज स्ट्रक्चर एण्ड डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रालाइजेशन (ए स्टडी ऑफ टू पंचायत समिति' स ऑफ भिवानी इन हरियाणा), 2005.
7. सिंह, रनबीर, रोल ऑफ प्रेस इन नेशनल अवेंकिंग इन इण्डिया (1905–1920), 1997.
8. सिंह, वजीर, पंचायतीराज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में महिला सदस्यों की भूमिका : रोहतक जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन, 2006.
9. सिंह ओमप्रकाश, संचार माध्यमों का प्रभाव, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1993.
10. भटनागर, सुभाष, इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी एण्ड डेवलेपमेण्ट, फाउण्डेशन एण्ड की इश्यूस, 2000.
11. पाण्डेय, गणेश, शोध प्रविधि, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली एशियन ऑफसेट दिल्ली, 2007.
12. चावला, हिमांशु, मॉस कम्यूनिकेशन एण्ड पब्लि ओपीनियन ए थीअरेटिकल स्टडी, 2002.
13. चन्द्र, सुभाष, ग्राम पंचायत की महिला कार्यकर्त्ताओं की राजनीतिक सहभागिता : वर्ष 1993 के पश्चात् का परिदृश्य, 2004.
14. अग्रवाल, सुरेश, जनसंचार माध्यम, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
15. गोयल, लज्जा देवी, वूमेन इम्पॉवरमेन्ट एण्ड द पंचायती राज सिस्टम इन रेफरेन्स टू 73आरडी कॉन्सटीटयूशनल अमेन्डमेन्ट : ए स्टडी ऑफ पंचायत्स ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट (हरियाणा), 2005.
16. गौतम, रश्मि, माइक्रो लेवल मीडिया (ए स्टडी ऑफ सोनीपत प्रेस), 1992.